…ालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौस…

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

…ख …न	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त… अहकाम ज… हुक्म की त… में जारी
11/4/23	पत्रावली आज पेश। 13/4/23 से रजिस्टर्ड की। अदालत में पेश हुआ। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी को सुना गया तहसीलदार लालसोट से प्राप्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर घो० (घोषित) किया गया। पत्रावली बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)	

Scanned with CamScan…

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 17 / 2021

रज्जू दिनांक : 07–04–2021

पीठासीन अधिकारी

श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम जाति ब्राह्मण उम्र 81 वर्ष निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय **दिनांक : 11/2/23**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 281 रकबा 05 बीघा वाकै डिडवाना पटवार हल्का डिडवाना बी तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में स्थित है। जिसमे प्रार्थी रामेश्वर प्रसाद का नाम रामवतार पुत्र कालू वगैराह सहखातेदारान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त वर्णित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी रामेश्वर प्रसाद का नाम राजस्व एजेन्सी की गलती से रामावतार दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, प्राधिकरण (आधार कार्ड), बैंक पासबुक, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम निवासी ग्राम डिडवाना अंकित है। जो बिलकुल सही एवं सत्य है। तथा प्रार्थी की अन्य सहखातेदारी भूमि जमाबन्दी खाता संख्या 138 वाकै ग्राम डिडवाना मे भी प्रार्थी का नाम रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम दर्ज है जो बिल्कुल सही है। प्रार्थी रिटायर्ड कर्मचारी है जो अध्यापक पद से रिटायर्ड हुआ है वर्तमान में काफी वृद्व है एवं लकवा ग्रस्त है आंखो से दिखाई नही देता है जिसके राजकीय दस्तावेजात मेडिकल डायरी मे भी प्रार्थी का नाम रामेश्वर प्रसाद अंकित है। केवल मात्र उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 281 मे प्रार्थी का नाम रामवतार अंकित होने से के.सी.सी. बैंक ऋण तथा अन्य सरकारी योजनाओ के लाभ से

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

वंचित होना पडा रहा है। रामावतार एवं रामेश्वर प्रसाद एक ही व्यक्ति है केवल मात्र राजस्व एजेन्सी की गलती से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम रामावतार दर्ज हो गया जबकि वास्तविक नाम रामेश्वर प्रसाद ही है। आराजी खसरा नं0 281 रकबा 05 बीघा भूमि वाकै डिडवाना तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अंकित नाम रामावतार को विलोपित कर उसके स्थान पर रामेश्वर प्रसाद किया जाना न्यायार्थ एवं कानूनन आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरूस्ती इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई जिसे शामिल मिसल कर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 281 रकबा 05 बीघा वाकै डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामावतार पुत्र कालूराम का नाम दर्ज होना अंकित किया है तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 281 रकबा 05 बीघा वाकै डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज प्रार्थी का नाम रामावतार पुत्र कालूराम का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर रामेश्वर प्रसाद पुत्र कालूराम नाम का अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे इस आशय की तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

Scanned with CamScanner